रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1997/आषाढ़ 4, 1919
No. 256] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1997/ASADHA 4, 1919

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1997

सा. का. नि. 343 (ई.).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1997 है।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उप नियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना, सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन तथा किसी अन्य पेंशन का संराशित भाग, यदि कोई हो, जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त किया गया या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, को जोड़कर बनने वाली कुल राशि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।"

[सं. ए. 11014/5/97-प्र. अ.]

आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

ाद टिप्पणी : मूल नियमों को दिनांक 22 अगस्त, 1986 की सा.का.नि. संख्या 1015 (ई) के तहत अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् :

(i) दिनांक 4 अप्रैल, 1988 के सा. का. नि. 424(ई)

(ii) दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 के सा. का. नि. 1046 (ई)

(iii) दिनांक 19 अगस्त, 1992 के सा. का. नि. 729 (ई)

(iv) दिनांक 31 जनवरी, 1994 के सा. का. नि. 45 (ई) के तहत इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1997

G.S.R. 343 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service :

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court."

[No. A. 11014/5/97-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were notified vide No. GSR 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and subsequently amended vide :—

(i) GSR 424 (E), dated the 4th April, 1988.

(ii) GSR 1046 (E), dated the 13th December, 1989.

(iii) GSR 729 (E), dated the 19th August, 1992.

(iv) GSR 45 (E), dated the 31st January, 1994.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997